संपादकीय

टैरिफ छीन लेगा नौकरियां

अमरीका के 'जैसे को तैसा टैरिफ' से भारत की जीडीपी को 0.7 फीसदी का नुकसान हो सकता है। बेशक यह बहुत कम आंकड़ा लगता है, लेकिन नुकसान 2.5-3 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है। यह कोई सामान्य राशि नहीं है। विशेषज्ञों के ही आकलन हैं कि यदि जीडीपी कम हुई, तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा, लिहाजा फैक्टरियां या तो कर्मचारियों की छंटनी करेंगी अथवा वेतन कम करेंगी। आकलन यहां तक हैं कि 7-8 लाख नौकरियां जा सकती हैं। ऐसा ही प्रभाव तमिलनाडु की कंपनियों पर पड़ सकता है, जहां कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करती हैं। भारत के गुजरात से प्रमुख तौर पर 78,000 करोड़ रुपए के र -आभूषण, पत्थरों का कारोबार अमरीका के साथ किया जाता है। टैरिफ बढऩे से वे ज्यादा महंगे उत्पाद हो जाएंगे। एक उदाहरण एप्पल आईफोन का है, जिसकी फैक्टरियां भारत और चीन में हैं। चीन पर 34 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। पहले से ही चीन पर टैरिफ काफी ज्यादा है। अब नए टैरिफ के बाद भारत-चीन में निर्मित एप्पल फोन अमरीकी बाजार में महंगा हो जाएगा, तो जाहिर है कि महंगा फोन कोई क्यों खरीदेगा? नए हालात में भारत की मुद्रा 'रुपया' और अधिक कमजोर होगा तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कम होगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय भी स्वीकार कर रहा है कि यह टैरिफ हमारे लिए 'झटका' नहीं, बल्कि 'मिक्सबैग' है। यानी कुछ तो नुकसान के आसार हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 60 देशों पर 'जैसे को तैसा टैरिफ' थोपा है, नतीजतन दुनिया के देशों में हडक़ंप मचा है, अर्थव्यवस्थाएं हिल गई हैं, गरीबी और महंगाई के बढऩे के आसार हैं, ज्यादातर देश इसे 'टैरिफ युद्ध' मान रहे हैं और इसे ट्रंप का 'व्यापारिक पागलपन' करार दे रहे हैं। विशेषज्ञों के आकलन हैं कि दुनिया में 122 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। बहरहाल भारत-अमरीका के बीच अनेक वस्तुओं और उपकरणों आदि का आयात-निर्यात होता है। प्रधानमंत्री मोदी की फरवरी अमरीकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर (करीब 43 लाख करोड़ रुपए) तक बढ़ाने के समझौते की घोषणा की थी। व्यापार-सौदा इसी के तहत किया जाना है। इसका प्रथम चरण सितंबर-अक्त ूबर तक पूरा हो सकता है। उसमें टैरिफ का समाधान मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि भारत के फार्मा, तांबा, तेल, सेमीकंडक्टर, गैस, कोयला, एलएनजी, इंसुलिन, विटामिन्स, कीमती धातुएं (सोना, चांदी, प्लेटिनम), प्रिंटेड सामग्री और जिंक आदि 50 प्रमुख उत्पादों को 'टैरिफ-मुक्त ' रखा गया है। करीब 6 अरब डॉलर के निर्यात वाली मशीनरी, 4 अरब डॉलर के निर्यात वाले मिनरल फ्यूल, 3 अरब डॉलर निर्यात वाले ऑर्गेनिक केमिकल्स और 1 अरब डॉलर के निर्यात वाले इमारती पत्थर आदि पर टैरिफ के कम असर पडऩे की संभावनाएं हैं।

विनोद शर्मा, संपादक

प्रथम अध्यक्ष अटलजी से लेकर नए अध्यक्ष की प्रतीक्षा बेला तक

प्रवीण गुगनानी

जनजातीय को हिंदुओं से अलग बताना, जैन और लिंगायत जैसे कुछ अन्य समुदायों को अलग धर्म या अल्पसंख्यक कराना, शाहबानों प्रकरण में न्यायालय के निर्णय को बदलना, एक देश दो विधान, आर्य अनार्य का वितंडा उपजाना, राममंदिर को संघ या भाजपा का कार्यालय बताना, अयोध्या निर्माण में बाधाएं उत्पन्न करना, रामेश्वर रामसेतु के विध्वंस हेतु मशीनों का बेड़ा भेजना, श्रीराम को काल्पनिक बताना, ऐन दीवाली की रात्रि को पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी, देश में कोविड वेक्सिन को भाजपा की वेक्सिन कहकर विरोध करना, विदेशों में वेक्सिन डिप्लोमेसी का विरोध करना, नक्सलवाद, खालिस्तान, बोडो, माओइज्म, अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करना, पंडित विहीन कश्मीर, दक्षिण राज्यों में हिंदी विरोध के आधार पर राजनीति, भाषायी विभाजन, भीम मीम गठजोड़, मंडल-कमंडल, पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाव, गुरमेहर कौर विवाद, चीन के साथ भारत के विवाद या संघर्ष में चीन की ओर झुकाव बताना जैसे कई कई मुद्दे हैं। ये और इन जैसे अनेक अन्य मुद्दों पर भारत के तथाकथित बुद्धिजीवी व प्रगतिशील राजनीतिक तत्वों ने सदैव ही राष्ट्र की मूलभावना के विपरीत आचरण प्रस्तुत किया है।

आज जब देश भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदासीन होने की प्रक्रिया व प्रतीक्षा में हैं तब स्वाभाविक ही भाजपा की समृद्धशाली अध्यक्षीय परंपरा का ध्यान देश के मानस में उभर आता है। भारतीय जनता पार्टी का उत्थान, आरोह, अवरोह, विन्यास का मार्ग और आज के भारतीय राजनैतिक क्षितिज में उसकी चमकदार स्थिति कोई संयोग मात्र नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख आदि की राजनैतिक शुचिता व परंपरा के उत्तराधिकारी थे भाजपा के प्रथम अध्यक्ष श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। भाजपा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिस प्रकार अपनी पार्टी को एक सुदृढ़ नींव प्रदान की, एक सैद्धांतिक आधार दिया, ÷पार्टी विद डिफरेंस÷ के आसन पर विराजित किया वह सब एक तपस्या ही है। अटल जी से लेकर जे पी नड्डा तक भाजपा की अध्यक्षीय परंपरा, संघ परंपरा के संवाहक के रूप में ही हमें दिखती चली आई है। अटल जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, जना कृष्णमूर्ति जी, वैंकया नायडू जी, राजनाथ जी, नितिन गड़करी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी तक की अध्यक्षीय परंपरा पर संघ, जनसंघ व भाजपा की समूची तपस्या व साधना का अमिट प्रभाव रहा है।

1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने लगभग पाँच हज़ार प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया था। शीघ्र ही, जनता पार्टी का प्रयोग विफल हो गया था। इस स्थिति में सर्वाधिक किंकर्तव्यमूढ़ स्थिति में जनसंघ के कार्यकर्ता को खड़े होना चाहिए था। सर्वाधिक सांगठनिक हानि जनसंघ की ही हुई थी। जनसंघ का सामान्य कार्यकर्ता गहन हताश और निराश हो जाना चाहिए था! किंतु ऐसा कतई नहीं हुआ!! क्योंकि, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व स्थितियों को केवल भाँप ही नहीं रहा था अपितु भली भाँति नब्ज पर हाथ रखें हुए था। स्वयंसेवकों के समक्ष स्वयंसेवक होने या जनता पार्टी के सदस्य होने में से किसी एक को चुनने का यक्ष प्रश्न उभर रहा था। इस बेला में ही भाजपा जन्म का बीजारोपण हो चुका था। यही कारण था कि, 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगाया और मात्र दो सूर्योदय के बाद 6 अप्रैल, 1980 को भाजपा स्थापित हो चुकी थी। यह संघ के संत जैसे प्रचारकों व देवस्वरूप गृहस्थ कार्यकर्ताओं की दूरदृष्टि का ही परिणाम था।

भाजपा के सभी अध्यक्षीय कार्यकाल एक से बढ़कर एक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की भौगोलिक या राज्यीय पृष्ठभूमि, सांगठनिक पृष्ठभूमि, कार्यशैली, भाषायी पृष्ठभूमि, शिक्षा क्षेत्र, अनुभव बड़े ही विविधतापूर्ण रहे हैं। मात्र 45 वर्ष की आयु वाले इस युवा संगठन का समूचे देश में सतत व तीव्रता से बढ़ता हुआ जनाधार ही इसकी अद्भुत व सफल अध्यक्षीय परंपरा का परिचायक है। आज भाजपा के बड़े स्तर पर सत्तासीन हो जाने से लोग बहुधा एक बात कहते हैं; अरे, अब यह ÷पार्टी विद डिफ़रेंस÷ नहीं रही। विरोधी दल स्वानंद के लिए यह कह लें किंतु भाजपा आज भी ÷पार्टी विद डिफ़रेंस÷ ही है!! भाजपा में अनेक दलों से करोड़ो कार्यकर्ता आकर सम्मिलित हुए हैं, लाखों पदाधिकारी आए, हजारो सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि आये; किंतु क्या भाजपा ने क्या मंदिर को छोड़ा? कश्मीर को छोड़ा? समान नागरिक संहिता को छोड़ा? तुष्टिकरण के विरुद्ध अभियान को छोड़ा? हिंदुत्व के आग्रह को छोड़ा? और तो और भारतीय मुस्लिम महिला समाज को, उसकी दोज़ख़ी कुप्रथाओं से बाहर निकालने का नया काम भी भाजपा ने अपने हाथों में ले लिया!! यह श्रृंखला, यह कृतत्व ही बताता है कि भाजपा आज भी ÷द पार्टी विद डिफरेंस÷ ही है। आप पिछले एक दो दशक में सभी भारतीय दलों दलों द्वारा विकसित किये गए विमर्शों को जांचे तो पता चलेगा की वैचारिक दृष्टि से शेष दल सुविधाभोगी हो गए हैं किंतु भाजपा ने अपना वैचारिक आग्रह नहीं छोड़ा। भाजपा ने दुसरे दलों से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद अपने दल में लिए अवश्य किंतु आने वाले व्यक्ति और उनके विचार बदले हैं भाजपा का वैचारिक आग्रह नहीं बदला है। भाजपा आज भी अपने संघी ध्रुव पर, एकात्म मानववाद पर, अन्त्योदय पर, राममंदिर पर, समान नागरिक संहिता पर, मुस्लिम सुधार पर और ऐसे अनेक विषयों पर अंगद और अटलभाव से खड़ी हुई है। यह भाजपा की समृद्धशाली अध्यक्षीय परंपरा का ही परिणाम है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्पमत की सरकार बनाने के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा संसद में नए वक्फ़ बिल उम्मीद का प्रस्तुत होने से लेकर पारित होने तक की प्रक्रिया, भाजपा की अटल जी से लेकर जेपी नड्डा तक की राष्ट्रनिष्ठ अध्यक्षीय परंपरा का प्रताप ही है।

भाजपा की अध्यक्षीय परंपरा की तुलना यदि हम कांग्रेस से या दूसरे राजनैतिक दलों से करें तो हमारे समक्ष एक भयावह दृश्य प्रस्तुत होता है। कांग्रेस सहित अन्य सभी राष्ट्रीय या राज्यीय स्तर के राजनैतिक दलों में अध्यक्षीय आसंदी एक खिलौना बनकर रह गई है। पिता अपने पुत्र को अपनी अध्यक्षीय कुर्सी किसी खिलौने की भाँति ही उपहार में दे देता है। भाजपा से इतर अन्य पार्टियों के अध्यक्ष, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर बैठते हैं। वो विचार बदलते हैं, परिवार बदलते हैं, आधार बदलते हैं और नौ सौ चूहे खाकर कभी हज को तो कभी हरिद्वार को जाने का प्रपंच करते हैं! कांग्रेस, कम्युनिस्ट होकर कटुक, बिटूक गई है। कम्युनिस्ट लोग इस्लामिस्ट होने का ढोंग रच रहे हैं। हमारे देश में कम्युनिस्ट होने की नई परिभाषा है हिंदू विरोध मात्र। साम्यवादी, समाजवादी तो पता नहीं क्या क्या प्रपंच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सत्तासीन होने के लिए ये लोग भारतीयता को छोड़ने में सदा अव्वल रहते हैं। भारतीयता को छोड़ना÷ इस एक बड़े शब्द का प्रयोग यहां किया है, किंतु आपके समक्ष कांग्रेस जनित आपातकाल और तुष्टिकरण के बाद के कालखंड के कुछ सामाजिक संदर्भ रख रहा हूं, थर्मामीटर लगाकर चैक करें कि इन संदर्भों में भाजपा से इतर वाले राजनैतिक दलों ने कितनी तेजी से सत्ता के लिए अपनी केंचुली बदली है।

दांपत्य जीवन में बढ़ते अपराध से बचने के लिए तलाक को सरल बनाना बेहद जरूरी

शैलेंद्र सिंह

शादी के बाद जल्दी तलाक न मिलने के चलते गुस्से व तनाव से मन में अपराध की भावना भरता जा रहा है। पतिपत्नी के बीच पंडे और काले कोट वाले न आए तो अलगाव सरल होगा अपराध में नहीं बदलेगा।

रामपुर गांव में एससी परिवार की नेहा नामक लड़की की शादी एक साल पहले नगराम के दीपक से हुई थी। शादी दोनों ही परिवारों ने एकदूसरे को ठीक से देख समझ कर की थी। शादी के कुछ माह के बाद ही नेहा और दीपक में विवाद शुरू हो गया। विवाद का कारण यह था कि दीपक शराब का नशा करने के बाद नेहा से मारपीट करता था। उसे लगता था कि नेहा का चरित्र ठीक नहीं है। वह दूसरे लड़कों से हंसतीबोलती है। झगड़े के बाद नेहा अपने मायके चली आई। दीपक के पिता चाहते थे कि नेहा अपने घर से ससुराल चली आए।

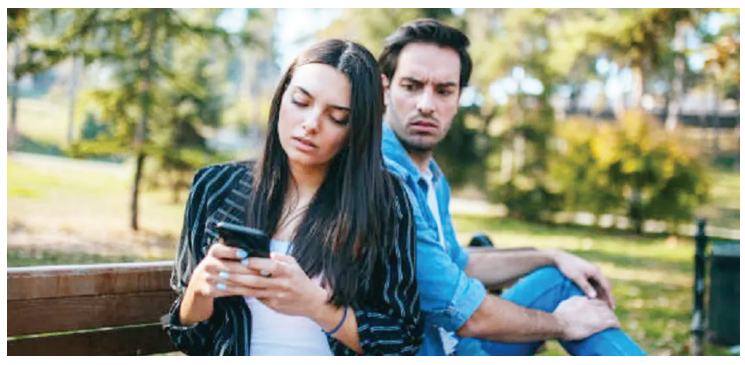

दोनों परिवारों की पंचायत गांव में लगी। दोनों परिवारों के बीच झगड़े न हों इस के लिए गांव में ही पुलिस भी आ गई थी। दीपक और नेहा के बीच बातचीत विवाद की तरह से हो रही थी। दो घंटे से अधिक तक यह विवाद चलता रहा। अंत में नेहा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वह ससुराल नहीं जाएगी। सभी ने उसके फैसले को ही मान लिया। दीपक और उस के पिता यह मानने के पक्ष में नहीं थे। अंत में पंचायत के दबाव में उनको भी फैसला स्वीकार करना पड़ा।

एक लिखित में समझौता पत्र तैयार हुआ। दोनों पक्षों ने एकदूसरे के सामान वापस किए। गवाहों के सामने लिखित में दिया कि नेहा और दीपक के बीच तलाक हो गया है। अब एकदूसरे के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दोनों ही अपनी अलग शादी करने के लिए आजाद हैं। पूरी लिखापढ़त में पुलिस कहीं शामिल नहीं थी। इस के बाद भी यह फैसला इसलिए मान्य था क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में यह किया गया।

कैसे कोर्ट से शून्य या अमान्य घोषित होती है शादी ?

अगर अदालत से कोई शादी शून्य यानि अमान्य घोषित की जाती है तो लंबा खर्च आता है। इस के साथ ही साथ कई माह भी लगते हैं। पंचायत में यह काम कुछ घंटों में ही बिना किसी बड़े विवाद के हो गया। भारत में विवाह से संबंधित अलगअलग कानून हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के विवाह, तलाक और संतान की वैधता को समझाने वाला कानून बना है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 ईसाई धर्म के लोगों का विवाह कानून है। मुसलिम पर्सनल ला (शरीयत) अधिनियम, 1937 मुसलिम धर्म मानने वालों के विवाह, तलाक और उत्तराधिकार को बताता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 पारसी धर्म के लोगों के विवाह और तलाक से जुड़ा हुआ है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का कानून धर्म और जाति से परे अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को कानूनी मान्यता देता है।

शून्य विवाह क्या होता है ? कुछ विवाह ऐसे होते हैं, जो कानून की दृष्टि से शुरू से ही अमान्य होते हैं। इन की कोई कानूनी वैधता नहीं होती। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 के तहत शून्य विवाह का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति का पहले से कोई वैध विवाह है तो दूसरी शादी शून्य होती है। पतिपत्नी का

बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजना कितना सही?

शकील प्रेम

बुजुर्गों की बढ़ती आबादी छोटे होते परिवारों के लिए एक समस्या भी बन रही है। जिन घरों में बुजुर्ग भी साथ रहते हैं वहां औरतों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। न तो वह औफिस मैनेज कर पाती हैं न ही घर के बुजुर्ग। ऐसे में एक ही औप्शन बचता है, वृद्धाश्रम। लेकिन बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना कहां तक सही डिसिजन है?

2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में बुजुर्गों की संख्या 10.4 करोड़ थी। ह्स्ह्र के आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 में देश में बुजुर्गों की आबादी 13 करोड़ 80 लाख थी जो कि अगले एक दशक में यानी साल 2031 तक 41 फीसदी बढ़ कर 19 करोड़ 40 लाख हो जाएगी और अनुमान है कि 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 31.9 करोड़ हो जाएगी।

बुजुर्गों की यह बढ़ती आबादी छोटे होते परिवारों के लिए एक समस्या भी बन रही है। पुराने जमाने में बड़े परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवारों में कई लोग साथ रहते थे और मिल कर बुजुर्गों की देखभाल किया करते थे। उस दौर की सामाजिक स्थिति यही थी लेकिन पिछले कुछ दशकों से परिवार लगातार छोटे होते जा रहे हैं।

इस बीच औरतों की स्थिति में भी बदलाव आया है। औरतें जौब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, मर्दों के साथ कंधा मिला कर चल रही हैं। आज की औरतें घर में रह कर चौकाबर्तन करना पसंद नहीं कर रहीं। यह औरतों की आजादी का दौर है इसलिए यह दौर पहले से बेहतर है लेकिन जिन घरों में बुजुर्ग भी साथ रहते हैं वहां औरतों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं।

बुढ़ापा सभी के जीवन में आता है। यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग

अपने बच्चों की परवरिश में अपना जीवन खपा देते हैं जब उन्हें बुढ़ापे में अपनी देखभाल की जरूरत पड़ती है तब बच्चों के पास समय नहीं होता। बच्चे अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन के लिए घर के बुजुर्ग बोझ बन जाते हैं लेकिन इस का दूसरा पहलू भी है। बुजुर्ग लोगों को सब से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है और उन की यह भावनात्मक अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। नौकरीपेशा लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो बुजुर्गों की अपेक्षाएं पूरी कर सकें।

बेटी के घर का पानी नहीं पी सकते

पुरुषवादी व्यस्था में लड़कियां पराई समझी जाती हैं। भारतीय बाप तो बेटी के घर का पानी पीने से भी परहेज करते हैं इस मानसिकता के कारण बेटों पर ही अपने पेरैंट्स की देखभाल की जिम्मेदारी होती है।

यही कारण है कि भारत में पेरैंट्स अपना बुढ़ापा बेटों के साथ ही गुजारना चाहते हैं। हैंडबुक औफ एजिंग की स्टडी के अनुसार 80त्न लोग अपने बुढ़ापे में बेटे के साथ रहना चाहते हैं। 2012 ह्स्ह्रक्कने भारत के 7 राज्यों में सर्वे किया जिस में 50त्न बुजुर्ग ही अपने बेटेबहू के साथ रह रहे थे।

क्लिनिकल साइकोलौजिस्ट प्रियंका श्रीवास्तव कहती हैं कि ÷ज्यादातर बुजुर्ग पेरैंट्स बेटियों के साथ इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बेटी में फाइनैंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी नजर नहीं आती, जो उन्हें बेटों को देख कर मिलती है। पेरैंट्स शादीशुदा बेटी के साथ चाह कर भी सहज नहीं रह पाते जब कि लड़कियां इमोशनल होती हैं और वे पेरैंट्स की मजबूरी और परेशानी बेटों से बेहतर समझती हैं।

बेटों के साथ बुढापा बिताने की इस मानसिकता में सब से बड़ी समस्या यह है कि बेटे अपने पेरैंट्स के देखभाल की जिम्मेदारी अपनी पत्नियों पर डाल देते हैं। जो औरतें हाउसवाइफ हैं वो इस जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाती भी हैं लेकिन जो औरतें जौब कर रहीं हैं उन के लिए पति के पेरैंट्स की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता। मनोज के पिता वैजनाथ की उम्र 82 साल थी। मनोज और उस की वाइफ श्रुति दोनों नोएडा में रहते थे और दोनों ही जौब करते थे। दोनों की दो बेटियां थीं। रिंकी और पिंकी। रिंकी उज्बेकिस्तान में रह कर एमबीबीएस कर रही थी और पिंकी बैंगलोर में रह कर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे में घर के बुजुर्ग की देखभाल श्रुति और मनोज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। श्रुति जौब पर रहती तो उसे अपने ससुर वैजनाथ की ही चिंता लगी रहती।

वैजनाथ जी की थोड़ी भी तबियत बिगड़ने पर श्रुति को आफिस से छुट्टी लेनी पड़ती और पूरे दिन उन की देखभाल करनी पड़ती। श्रुति के साथ मनोज भी काफी परेशान हो चुका था इसलिए दोनों ने पास के वृद्धाश्रम में बात की और वैजनाथ जी को वृद्धाश्रम में भेज दिया। वहां उन्हें समय पर दवाइयां मिलती। देखभाल होती और खाना वगैरह भी समय पर मिलता। अपने जैसे बहुत से लोगों के बीच वह भी काफी बेहतर फील करने लगे। दोनों पतिपत्नी वीकेंड पर वृद्धाश्रम जाते और वहां से वैजनाथ जी को साथ ले कर पास के पार्क में समय बिताते। महीनेदोमहीने पर उन्हें साथ ले कर कहीं घूमने चले जाते।

वैजनाथ जी के वृद्धाश्रम जाने के बाद श्रुति को बहुत आराम मिला। अब वह निश्चिंत हो कर जौब पर जाती और घर आने के बाद बेहद सुकून महसूस करती लेकिन अपने घर के इकलौते बुजुर्ग को वृद्धाश्रम में भेज देने से मनोज के रिश्तेदार बेहद नाराज थे। वो कहने लगे कि देखो ये लोग कितने खुदगर्ज हैं एक बुजुर्ग की सेवा नहीं कर सके उन्हें वृद्धाश्रम में फेंक दिया। जिंदगीभर वैजनाथ ने संघर्ष किया बेटे को पढ़ाया लिखाया, उस की शादी की अब वही बेटा अपने बाप को वृद्धाश्रम में डाल आया। वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम को ले कर हमारे समाज में बहुत सी धारणाएं बैठी होती हैं। जिन लोगों के बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में होते हैं उन्हें ले कर समाज का नजरिया अच्छा नहीं होता।

अंधविश्वासी मांबाप और इकलौती संतान

भारत भूषण श्रीवास्तव

60-70 के दशक में यह उम्मीद की जाती थी कि जैसेजैसे लोग शिक्षित होंगे वैसेवैसे अंधविश्वास कम होंगे लेकिन हुआ उलटा, अंधविश्वास और अंधविश्वासी और बढ़ रहे हैं क्योंकि उन का पहला स्कूल घर और पहले टीचर खुद पेरैंट्स हैं जिन के साथ रहना आर्थिक और भावनात्मक के अलावा सामाजिक विवशता भी है।

मैं तब बेंगलुरु के एक नामी इंस्टिट्यूट से एमबीए कर रहा था और होस्टल में रहता था। एक दिन सुबह सुबह मम्मी का फोन आया कि रिश्ते के एक चाचा नहीं रहे। इसलिए मुझे तला कुछ नहीं खाना है और 10 दिनों तक शेव नहीं करना है। क्यों, यह पूछने पर वही पुराना जवाब मिला कि घर में सूतक लगे हैं।

28 वर्षीय संकेत याद करते बताता है, 'मुझे न पहले कभी समझ आया था, न तब आया था और आगे भी कभी शायद ही आए कि यह सूतक होती क्या बला है। क्योंकि ऐसा पहले भी दोतीन बार हो चुका था और सूतक लगने पर घर में कड़ाही का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पापा ने 10 दिन यानी शुद्धि के दिन तक दाढ़ी नहीं बनाई थी और भी कुछ बंदिशें थीं। तब मैं छोटा था, इसलिए खामोश रहा था और 10 दिन उबलाथुबला, बेस्वाद खाना जैसेतैसे गले के नीचे उतार लेना मजबूरी थी। पर यह मजबूरी आज से 4 साल पहले नहीं थी, जब वे चाचा नहीं रहे थे जिन्हें मैं ने होश संभालने तक कभी देखा भी नहीं था। यहां होस्टल में न मम्मी थी और न ही पापा थे, इसलिए कोई परहेज नहीं किया था।'

'लेकिन यह समस्या का हल नहीं है', संकेत कहता है, 'ऐसे कोई दर्जनभर से भी ज्यादा ढकोसलों का पालन घर में होता है जिन्हें मम्मीपापा तो करते हैं पर मुझ से भी एक तरह से जबरन करवाते हैं और मैं इच्छा और विश्वास न होते हुए भी करता हूं। मैं उन की इकलौती संतान हूं और उन्हें बहुत चाहता हूं, वे भी मुझे बेइंतहा चाहते हैं, इसलिए उन की भावनाओं और मान्यताओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बावजूद यह जाननेसमझने के कि इन मान्यताओं और अंधविश्वासों के पीछे कोई ठोस वजह नहीं है।'

संकेत इन दिनों अपने घर भोपाल में है और एक बड़ी औटोमोबाइल कंपनी में वर्क फ्रौम होम के तहत घर से ही जौब कर रहा है। ऐसे अंधविश्वासों पर पेरैंट्स से दूसरे युवाओं की तरह वह ज्यादा बहस नहीं कर पाता। इस की वजहें साफ़ हैं। पहली तो पेरैंट्स का स्वाभाविक आदरसम्मान और दूसरी है, ज्यादा तर्क करने पर उन का झल्ला जाना, क्योंकि उन के पास कोई तर्कपूर्ण जवाब नहीं होता। इसलिए आखिर में वे खीझ कर यही कहते हैं कि तो ठीक है जो जी में आए वो करो लेकिन हम तो इन्हें मानेंगे तुम हमारे मरने पर सर भी मत मुड़ाना वगैरहवगैरह।

ऐसे अंधविश्वासी मांबाप के साथ रहना आसान नहीं है, बल्कि एक तरह का चैलेंज है कि आप उन्हें अंधविश्वासों की बाबत समझा पाएं या न समझा पाएं लेकिन खुद को उन से दूर रखने में सफल हों।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा एन.व्ही.आर. पब्लिकेशन हाउस S-99/33 नीलबड़ रोड भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, एफ- 12 द्वितीय तल गोयल निकेत एमपी नगर जोन-1 भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित
पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708 * पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा। RNI No.- MPHIN/2016/68059 E-mail - peoplespravakta@gmail.com